

प्रेषक,

डॉ० रणवीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 05 अप्रैल, 2011

विषय:-सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक-1001/स्थापना/सै0क0-1 दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 एवं पत्रांक-1001/अधि0पौलि0/स0क0-1 दिनांक 23 नवम्बर, 2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये शासनादेश संख्या:-538/XVII(2)/08-09(1)/07 दिनांक 10 सितम्बर, 08, कार्यालय ज्ञाप संख्या:-317/XVII-3/09-21(सै.क.)/02 दिनांक 10 अगस्त, 2009 संख्या:-332/XVII-3/10-09(64)/08 टी0सी0 दिनांक 13 जुलाई, 2010 में निहित प्राविधानों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति हेतु निम्न प्राविधान लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(क) **संविदा सेवा:-**सैनिक कल्याण विभाग में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को संविदा पर प्रारम्भ में दो वर्ष हेतु नियुक्ति किया जायेगा, जिसे संतोषजनक होने की दशा में बढ़ाया भी जा सकेगा, लेकिन इन सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को किसी भी दशा में दूसरी पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) **वेतनमान एवं सुविधायें:-** सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 नवम्बर, 2009 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिलब्धियाँ (वेतन/भत्ते) देय होंगी:-

क्र०	पदनाम	वेतनमान (₹ में)	ग्रेड-पे (₹ में)	मिलिट्री सर्विस पे (₹ में)
1	निदेशक	37400-67000	8900	6000
2	उपनिदेशक/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	15600-39100	6600	6000

(ग) पुनर्नियुक्ति की अवधि में उक्त अधिकारियों का वेतन स्वीकृत पदों के वेतनमान के आधार पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा बल्कि नियुक्ति की अवधि में अधिकारियों को उनके द्वारा सेना से आहरित अन्तिम वेतन से शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) की धनराशि घटाकर प्राप्त शेष में ₹ 4000/- (या समय-समय पर पुनरीक्षित धनराशि) जोड़कर नियत वेतन दिया जायेगा, बशर्ते यह उनके वेतनमान के अधिकतम से अधिक न हो। इसके साथ ही इन्हें सेना से पेंशन भी प्राप्त होती रहेगी। यदि शुद्ध वेतन धन शुद्ध वेतन धन शुद्ध पेंशन का योग पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक या सेना से प्राप्त अन्तिम आहरित वेतन से अधिक हो जाता है तो मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते वेतनमान के अधिकतम या अन्तिम आहरित वेतन, जो भी कम हो, पर देय होंगे।

(घ) संविदा सेवा हेतु अर्हता:-

1. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास हेतु:-

(क) निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के पद पर चयनित अधिकारी को सेना से ब्रिगेडियर अथवा नौसेना/वायु सेना के समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त होना अनिवार्य है।

(ख) ऐसे अधिकारी की नियुक्ति वर्ष के प्रथम दिन को आयु 59 वर्ष से अधिक न हो।


2. उपनिदेशक/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों हेतु:-

(क) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर चयनित अधिकारी को सेना से कर्नल/ले0कर्नल/मेजर अथवा नौसेना/वायु सेना के समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त होना अनिवार्य है।

(ख) ऐसे अधिकारी की नियुक्ति वर्ष के प्रथम दिन को आयु 57 वर्ष से अधिक न हो।

(च) संविदा सेवा हेतु चयन प्रक्रिया:-

निदेशालय, सैनिक कल्याण द्वारा उपरोक्तानुसार रिक्तियों की सूचना शासन को तीन माह पूर्व प्रेषित की जायेगी। तदोपरान्त डी0जी0आर0/विज्ञप्ति के माध्यम से अर्ह अभ्यर्थियों की नामावली प्राप्त करते हुये, कार्यालय ज्ञाप संख्या:-317 /XVII(1)-3/09-21(सै.क.)/02 दिनांक 10 अगस्त, 2009 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा



गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(I) निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास हेतु-

- अध्यक्ष - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य - प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य - प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य - प्रमुख सचिव/सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य - पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी/प्रतिनिधि।

(II) उपनिदेशक/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी हेतु-

- अध्यक्ष - प्रमुख सचिव/सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य - अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य - अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य - अपर सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
सदस्य - निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, देहरादून।
सदस्य - पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी/प्रतिनिधि।

चयन समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या:-332/ XVII-3/10-09(64)/08 टी0सी0 दिनांक 13 जुलाई, 2010 में संलग्न परिशिष्ट-'क' में निर्धारित अंक प्रणाली/ग्रेडिंग व्यवस्था के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन श्रेष्ठता के आधार पर करते हुये अपनी संस्तुति सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करेगी। उपनिदेशक/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति में विभागीय मंत्री तथा निदेशक, सैनिक कल्याण की नियुक्ति के समय मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुये आदेश जारी करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(छ) अधिकतम आयु सीमा:-

सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों हेतु शासन के पत्रांक दिनांक 10 सितम्बर, 2008 में निहित प्राविधान के अनुसार सैनिक कल्याण विभाग के संविदा पर नियुक्त निदेशक एवं उपनिदेशक/जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की संतोषजनक सेवा होने की दशा में अधिकतम आयु 62 वर्ष अथवा 06 वर्ष की संविदा सेवा, जो भी बाद में हो, तक संविदा अवधि शासन द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

(ज) अन्य:-

सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की अन्य सेवा शर्तें एवं सुविधायें केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित की जायेंगी।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 147 (1) / XVII-3 / 2010-09(63) / 08 तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
- ~~3.~~ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
5. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ✓ 9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(डॉ० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।